BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 25 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के हिस्ट्रीशीटर अपराधी को आजीवन कारावास व 30,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जीतू उर्फ जीतपाल पुत्र भूले सिंह निवासी शिवनगरी ढूंसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में अपने अन्य साथियों के साथ एक राय होकर उसी गांव के रहने वाले पप्पू उर्फ कटारा सिंह पुत्र विशम्बर की गंभीर रुप से घायल कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2012 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 404/2012 धारा 148,149,307,302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.02.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 25.03.2025 को न्यायाधीश श्री अभिमन्यु सिंह(मा0 न्यायालय स्पेशल एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जीतू उर्फ जीतपाल को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री चन्द्रभान सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जीतू उर्फ जीतपाल थाना शिकारपुर का हत्या गैंग का गैंग-लीडर व हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरुद्ध लगभग 12 मुकदमे पंजीकृत है तथा उक्त सम्बंध में पूर्व में 1. लायकी उर्फ योगेन्द्र पुत्र मदन 2. बबलू उर्फ अन्धा पुत्र विजेन्द्र निवासीगण शिवनगरी ढूंसरी थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर को मा0 न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है।

अभियुक्त जीतू उर्फ जीतपाल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 51/90 धारा 147,148,149,307,302 भादवि थाना शिकारपुरजनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 235/93 धारा 147,323,427,364 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-70/94 धारा 323,452,504,506 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-67/94 धारा 395 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-404/12 धारा 147,148,149,302,307भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर
6. मुअसं-41/14 धारा 147,148,149,307,302,506 भादवि थाना शिकारपुर बुलन्दशहर।
7. मुअसं-64/94 धारा 147,148,452,323,324,504 थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 372/14 धारा 174ए भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं-320/15 धारा 307 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 321/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 397/14 धारा 147,148,302,120बी भादवि व 07 क्रि0ला0 एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

12 मुअसं- 177/15 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर